राजस्थान सरकार

# वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2024 जयपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2026

## संशोधित अधिसूचना

समसंख्यक अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2026/6727 दिनांक 19.08.2026 एवं प्रेस नोट क्रमांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2026/6722 दिनांक 19.08.2026 के क्रम में राज्य के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव माह अगस्त-सितम्बर में दो चरणों में दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को करवाये जाने के मद्देनज़र भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन चुनाव कार्यक्रमानुसार दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) का अवकाश घोषित किया जा चुका है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7019 दिनांक 22.08.2026 द्वारा झुन्झुनू, पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7151 दिनांक 25.08.2026 द्वारा पाली, पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7231 दिनांक 26.08.2026 द्वारा बीकानेर के नगरीय निकायों में मतदान तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपर्युक्तानुसार झुन्झुनू, पाली व बीकानेर जिलों के नगरीय निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के संलग्न पत्रांकों अनुसार मतदान की तिथि परिवर्तित होने के कारण मतदान की तिथि को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्नः- यथोक्त

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

C:\2009\chunbanichr.doc

13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक / मुम्बई / नागपुर / दिल्ली / जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
16. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नंम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन–302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3–नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
28. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

C:\2006\...doc

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, [illegible], जयपुर)
[illegible]

क्रमांक:एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/1213 दिनांक: 22.08.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) झुन्झुनू।

विषय :– नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा के संबंध में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक 740 दिनांक 21.08.2026
संदर्भ:– आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट कमांक 6722 दिनांक 19.08.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि दिनांक 10.09.2026 एवं 11.09.2026 को मन्दिरों में भादव अमावस्या की वार्षिक पूजा अर्चना में देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झुन्झुनू में आते हैं। उक्त वार्षिक पूजा अर्चना के दौरान काफी संख्या मे पुलिस जाप्ता भी नियोजित किया जाता है। मन्दिरों के आस पास स्थित भवनों में नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर झुन्झुनू जिले की 19 नगरीय निकायों के आम चुनाव में आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में अंकित झुन्झुनू जिले की नगरीय निकायों के मतदान चरणों के समस्त नगरीय निकायों को द्वितीय चरण में एवं द्वितीय चरण की समस्त नगरीय निकायों को प्रथम चरण में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आयोग को प्रेषित किए हैं:–

| Ist Spell | | IInd Spell | |
|---|---|---|---|
| नगरीय निकाय का नाम | वार्डो की संख्या | नगरीय निकाय का नाम | वार्डो की संख्या |
| झुंझुनू | 60 | पिलानी | 35 |
| बग्गड़ | 20 | चिड़ावा | 45 |
| सुलताना | 25 | मण्ड्रेला | 25 |
| नवलगढ़ | 45 | विद्याविहार | 25 |
| जाखल | 20 | सूरजगढ़ | 25 |
| मुकुन्दगढ़ | 25 | सिंघाना | 35 |
| गुढ़ागौड़जी / बुड़ानोद | 20 | बुहाना | 20 |
| खेतड़ी | 25 | मण्डावा | 25 |
| उदयपुरवाटी | 35 | बिसाऊ | 25 |
| — | — | मलसीसर | 20 |

प्रस्तावनुसार तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय
22/8/26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकःएफ. 4(1)(1)/ननि/रानिआ/2024/1120-25 दिनांक : 22.08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी झुन्झुनू।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
9. एनालिस्टर–कम–प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई–मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email: [illegible] Ph. 0141-[illegible])

क्रमांक:एफ. 4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2024 / 7151 दिनांक: 25.08.26

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) पाली।

विषय :– नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा के संबंध में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक 1046 दिनांक 24.08.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले में जैन समाज की महत्वपूर्ण संख्या निवास करती है। दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को जैन समाज का पर्युषण महापर्व होने के कारण समाज के अनेक मतदाता धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाई होने की संभावना है, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। पाली नगर निगम का मतदान दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को कराने से पर्युषण महापर्व के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाईयों से बचा जा सकेगा तथा सभी वर्गों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं सुगम रूप से प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।

अतः व्यापक जनहित एवं अधिकाधिक मतदाताओं की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पाली नगर निगम के मतदान की निर्धारित तिथि 09 सितम्बर, 2026 में परिवर्तन करते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को मतदान कराये जाना बाबत निवेदन किया है।

आयोग द्वारा आपके प्रस्तावनुसार पाली नगर निगम के मतदान की निर्धारित तिथि 09 सितम्बर, 2026 में परिवर्तन करते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को मतदान कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
25.8.26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2024 / 7152–60 दिनांक : 25.08.26
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी पाली।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
8. एनालिस्टर–कम–प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई–मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकःएफ. 4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2024 / 723 | दिनांक 26/08/2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) बीकानेर।

विषय :– नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 –कार्यक्रम की घोषणा।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 3545 दिनांक 26.08.2026
संदर्भः– आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट कमांक 6722 दिनांक 19.08.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने अवगत कराया है कि जिले में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन देकर निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.09.2026 अमावस्या को बडी संख्या में लोग धार्मिक यात्राओं एवं मेलें–उत्सवों में भाग लेगें। इस कारण मतदान प्रतिशत में कमी होने की संभावना है।

उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बीकानेर ने जिले की 07 नगरीय निकायों के आम चुनाव निम्नानुसार चरणों में कराये जाने हेतु निवेदन किया हैः–

| प्रथम चरण (दिनांक 09.09.2026) | | द्वितीय चरण (दिनांक 11.09.2026) | |
|---|---|---|---|
| नगरीय निकाय का नाम | वार्डो की संख्या | नगरीय निकाय का नाम | वार्डो की संख्या |
| नगर निगम बीकानेर | 80 | नोखा | 45 |
| | | श्रीडूंगरगढ़ | 40 |
| | | देशनोक | 25 |
| | | खाजूवाला | 20 |
| | | लूणकरणसर | 35 |
| | | नापासर | 25 |
| योग | 80 | योग | 190 |

प्रस्तावनुसार तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
26/8/26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2024 / 7232–37 दिनांक : 26/08/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।

7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
8. एनालिस्टर–कम–प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई–मेल कराने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर, राजस्थान